

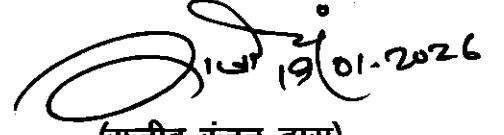
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-19/01/2026

संख्या-12/निजी-70405/2023 सा0प्र0-1403 /श्रीमती चन्दा भारती, बि0प्र0से0 (को0क्र0-928/24), अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं वित्त विभाग के अधिसूचना सं0-640/वि0, दिनांक-19.01.15 की कंडिका-2 के तहत दिनांक-05.01.2026 से दिनांक-03.07.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

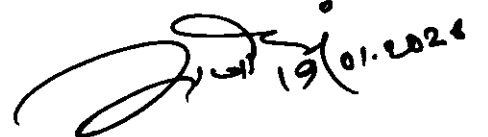


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70405/2023 सा0प्र0-1403 /पटना, दिनांक- 19/01/2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती चन्दा भारती, बि0प्र0से0 (को0क्र0-928/24), अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट/संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।